“ब्याज दर नीति”

इंद्रेश फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आईएफएसपीएल) को निवेश और ऋण कंपनी (आईसीसी) श्रेणी के तहत एनबीएफसी-एनडी के रूप में पंजीकृत किया गया

स्थिति

संस्करण	अनुमोदन तिथि	द्वारा संशोधित	संशोधन विवरण
1.0	24 दिसंबर , 2024	ना	नीति को अपनाना

<u>अनुक्रमणिका</u>

अध्याय 1 - प्रस्तावना 3

अध्याय II - ब्याज दर स्थापित करना........ 3

अध्याय III - सामान्य 4

अध्याय IV - समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर का पुनर्निर्धारण........ 7

अध्याय IV - ऑन डिमांड/कॉल ऋण के लिए नीति........ 7

अध्याय V - कंपनी वेबसाइट........ 8

अध्याय VI - विचलन 8

अध्याय VII - बेजोड़ता........ 8

अध्याय आठ -- नीति की समीक्षा........ 8

अध्याय IX - प्रभावी तिथि........ 9

अध्याय 1 - प्रस्तावना

इंद्रेश फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("आईएफएसपीएल" या "कंपनी") एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत है 27 सितंबर, 2024 से भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ("एनबीएफसी - एनडी") जिसका एनबीएफसी पंजीकरण नंबर एन-14.03630 है। आईएफएसपीएल को मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवसाय में संलग्न करने के लिए शामिल किया गया है उपलब्ध कराने के श्रेय सुविधाएँ को व्यक्ति, मालिक, साझेदारी, निजी / सार्वजनिक कम्पनियां आदि.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ("आरबीआई"), संदर्भ संख्या आरबीआई/डीओआर/2023-24/106 डीओआर.एफआईएन.आरईसी.सं.45/03.10.119/2023-24 वाले मास्टर निर्देश के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (10 अक्टूबर, 2024 तक अद्यतन) ने एनबीएफसी - बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल), एनबीएफसी- मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल), एनबीएफसी- अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल), एनबीएफसी-टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल) के लिए प्रावधानों को रेखांकित किया है और निष्पक्ष व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश दिया है,

कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और शुल्क लगाने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त होने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया कि सभी एनबीएफसी ब्याज दरें, प्रसंस्करण शुल्क और अन्य शुल्क निर्धारित करने में उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करें (एनबीएफसी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से, जिसमें निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम आदि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाए), जिसमें मास्टर परिपत्र और मास्टर निर्देश में उल्लिखित दिशानिर्देश शामिल हैं।

तदनुसार, इंद्रेश फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("आईएफएसपीएल" या "कंपनी") ने यह ब्याज दर नीति ("ब्याज दर नीति") लागू की है जिसका पालन कंपनी द्वारा ब्याज दरों, प्रसंस्करण शुल्क, जोखिम के वर्गीकरण, अपने उधारकर्ताओं से अलग-अलग ब्याज दर वसूलने के औचित्य और अपने ऋण व्यवसाय के संबंध में अन्य शुल्क निर्धारित करने में किया जाना है। इस ब्याज दर नीति का उद्देश्य पारदर्शी और खुले तरीके से ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के संबंध में कंपनी के मार्गदर्शक दर्शन का प्रतिनिधित्व करना है।

इस नीति को समय-समय पर RBI द्वारा जारी परिचालन दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस नीति की विषय-वस्तु को हमेशा RBI द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले परिवर्तनों/संशोधनों के साथ तालमेल में/स्वतः सुधार कर पढ़ा जाना चाहिए।

अध्याय II - ब्याज दर स्थापित करना

1.1. आईएफएसपीएल अपने ग्राहकों को फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट लोन के माध्यम से पैसा उधार देने का प्रस्ताव करता है ।

1.1.1. फ्लोटिंग दर ऋणों के लिए, आईएफएसपीएल बाह्य बेंचमार्क अर्थात रेपो, टी बिल, किसी बैंक एमसीएलआर या किसी अन्य बेंचमार्क से जुड़े ऋण और अग्रिम देने का प्रस्ताव करता है, जो प्रकाशित है और सार्वजनिक डोमेन में पारदर्शी रूप से सुलभ है।

ऊपर उल्लिखित बेंचमार्क दरें किसी भी पर लागू होंगी ग्राहकों के साथ समझौते के बाद ऋण और अग्रिम राशि बढ़ाई गई।

1.1.2. निश्चित दर वाले ऋण किसी बेंचमार्क से जुड़े नहीं होते बल्कि फंड की लागत, मार्जिन, जोखिम प्रीमियम, परिचालन व्यय आदि के आधार पर तय किए जाते हैं।

ऋण और अग्रिम के लिए ली जाने वाली ब्याज की निश्चित/परिवर्तनीय दर 10% से 30% प्रति वर्ष होगी, अपवादों को सीईओ और एक निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और कंपनी के निदेशक मंडल को सूचित किया जाएगा ।

2.2 उत्पाद - लगाई जाने वाली ब्याज दर प्रस्तावित उत्पाद और उक्त उत्पाद से जुड़े जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करेगी;

2.3 ऋण की अवधि - ब्याज की दर ऋण की अवधि पर निर्भर करेगी;

2.4 निधियों की आंतरिक और बाह्य लागत - ब्याज की दर भी इस आधार पर निर्धारित की जाएगी कि ग्राहकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक निधियों को कंपनी द्वारा किस दर पर प्राप्त किया जाता है, जिसे आमतौर पर निधियों की आंतरिक लागत कहा जाता है। निधियों की बाह्य लागत के दृष्टिकोण से, कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली बेंचमार्क ब्याज

दर या तो अग्रणी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सीमांत उधार दर, सरकारी प्रतिभूतियाँ या रेपो दर हो सकती है।

2.5 आंतरिक लागत लोडिंग - लगाए जाने वाले ब्याज दर में व्यवसाय करने की लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा। लेन-देन की जटिलता, लेन-देन की मात्रा और अन्य कारक जो किसी विशेष लेन-देन से जुड़ी लागतों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें भी ग्राहक को उद्धृत ब्याज की अंतिम दर पर पहुंचने से पहले ध्यान में रखा जाएगा।

2.6 क्रेडिट जोखिम - समझदारी के तौर पर, सभी लेन-देन में खराब ऋण प्रावधान लागत को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह लागत तब ग्राहक को उद्धृत ब्याज की अंतिम दर में दिखाई देती है। किसी विशेष लेन-देन पर लागू खराब ऋण प्रावधान की राशि ग्राहक की क्रेडिट ताकत पर निर्भर करेगी। कोई भी निर्णय लेते समय CIBIL स्कोर, मौजूदा ऋणग्रस्तता और अन्य क्रेडिट मापदंडों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

2.7 निश्चित बनाम अस्थिर - लागू ब्याज दर या तो निश्चित (ईएमआई आधारित उधार सहित), अस्थिर या परिवर्तनीय होगी और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।

2.8 ब्याज की आवधिकता - ऋण समझौते में निर्धारित अवधि के लिए ब्याज लिया जाएगा, जो कि कंपनी और ग्राहक के बीच लिखित रूप में सहमति के अनुसार किसी भी संशोधन के अधीन होगा।

शुल्कों का निर्धारण करते समय, ऊपर सूचीबद्ध कारकों के अतिरिक्त, बाजार में प्रतिस्पर्धियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं तथा अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधारकर्ता को दी जाने वाली कीमतों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

अध्याय III – सामान्य

कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों पर निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

1. **शर्तों में परिवर्तन** - कंपनी ऋण की शर्तों और नियमों में किसी भी परिवर्तन के संबंध में ऋणदाता को अंग्रेजी भाषा में सूचना देगी, जिसमें ऋणदाता को अपनी समझ में आने वाली स्थानीय भाषा चुनने का विकल्प होगा, जिसमें संवितरण अनुसूची, ब्याज दरें, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क आदि शामिल हैं।

   इसके अलावा, ब्याज दर में कोई भी बदलाव केवल भावी प्रभाव से ही किया जाएगा और ऋण समझौते में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान शामिल होंगे। कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य संचार माध्यम से इसकी सूचना दी जा सकती है।

2. **कोई रियायत अवधि नहीं** - ग्राहक/उधारकर्ता द्वारा कंपनी के साथ किए गए ऋण समझौते में निर्धारित तिथि पर या उससे पहले ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ग्राहक/उधारकर्ता को ब्याज के भुगतान के लिए कोई रियायत अवधि नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऋण समझौते में स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रावधान न किया गया हो।

   i. स्थगन - कंपनी मामले-दर-मामला आधार पर उचित अंतर्निहित मूल्य निर्धारण के साथ ब्याज के भुगतान और मूल राशि की चुकौती के लिए आवश्यक स्थगन अवधि पर विचार कर सकती है।

   ii. अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क - सामान्य ब्याज के अलावा, कंपनी ग्राहक/उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि के भुगतान में किसी भी देरी या चूक के लिए दंडात्मक शुल्क के रूप में अतिरिक्त ब्याज या अन्य सुविधाओं आदि पर अतिरिक्त ब्याज लगा सकती है।

   ऐसा जुर्माना समय-समय पर संशोधित दिनांक 18 अगस्त 2023 के आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2023-24/53डीओआर.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24 और दिनांक 29 अप्रैल 2024 के आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2024-25/30 डीओएस.सीओ.पीपीजी.एसईसी.1/11.01.005/2024-25 के अधीन होगा, जिसे नीचे खंड 3.1.9 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

   कंपनी प्रोसेसिंग फीस, चेक बाउंसिंग शुल्क, पूर्व भुगतान / फौजदारी शुल्क, आरटीजीएस या ऐसे अन्य धन प्रेषण शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, "कोई बकाया प्रमाण पत्र" जारी करने जैसी सेवाओं के लिए शुल्क, सुरक्षा स्वैप शुल्क आदि सहित

अन्य वित्तीय शुल्क भी लगा सकती है। ब्याज / वित्तीय शुल्क की इन अतिरिक्त दरों की मात्रा कंपनी के संबंधित कार्यात्मक / उत्पाद प्रमुख / प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जाएगी और ग्राहक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

iii. ग्राहक को ब्याज दर का संचार- कंपनी उधारकर्ता को अंग्रेजी भाषा में लिखित रूप में सूचित करेगी, जिसमें उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा चुनने का विकल्प होगा, स्वीकृति पत्र या अन्यथा, स्वीकृत ऋण राशि के साथ-साथ वार्षिक ब्याज दर और उसके आवेदन की विधि सहित नियम और शर्तें बताई जाएंगी और उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों की स्वीकृति को रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ऋण समझौते/प्रस्ताव पत्र में उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि के भुगतान/पुनर्भुगतान में देरी के लिए लगाए जाने वाले दंडात्मक शुल्क को स्पष्ट रूप से बोल्ड अक्षरों में निर्धारित किया जाएगा।

मूलधन और ब्याज के लिए समान मासिक किस्तों ("ईएमआई") की राशि का आवंटन भी कंपनी द्वारा ग्राहक/उधारकर्ता को पुनर्भुगतान अनुसूची के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जहां भी लागू हो।

iv. वार्षिक दरें - ब्याज की दर वार्षिक होगी ताकि उधारकर्ता को खाते पर लगाई जाने वाली सटीक दरों के बारे में जानकारी हो।

v. पूर्व भुगतान- ग्राहक के लिए उपलब्ध पूर्व भुगतान विकल्प और ऐसे विकल्प के प्रयोग के लिए देय जुर्माना ग्राहक/उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।

3. **दंडात्मक/डिफ़ॉल्ट शुल्क:** यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क/डिफ़ॉल्ट शुल्क' माना जाएगा। दंडात्मक/डिफ़ॉल्ट शुल्क का कोई पूंजीकरण नहीं होगा , यानी ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

ये शुल्क कंपनी द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज दर से अलग होंगे और ऋण खाते में ब्याज के चक्रवृद्धि के लिए सामान्य प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेंगे। दंडात्मक/डिफ़ॉल्ट शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध की भौतिक शर्तों और नियमों के गैर-अनुपालन के अनुरूप होगी। दंडात्मक/डिफ़ॉल्ट शुल्क की मात्रा और कारण कंपनी द्वारा ऋण समझौते, वित्तपोषण दस्तावेजों और मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में उधारकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।

जब भी ऋण की शर्तों और नियमों का पालन न करने के लिए उधारकर्ताओं को अनुस्मारक भेजे जाते हैं, तो लागू दंडात्मक शुल्क भी सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, दंडात्मक/डिफ़ॉल्ट शुल्क लगाने के किसी भी मामले और उसके कारण के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए।

<u>दंडात्मक/डिफ़ॉल्ट शुल्क:</u>

सीनियर नहीं।	प्रकृति का गैर-अनुपालन	दंडात्मक/डिफ़ॉल्ट शुल्क
1.	भुगतान गलती करना	**तक 5.00% देहात** पर चूक की गई राशि (संपूर्ण बकाया मूलधन और देय ब्याज) चूक अवधि।
2.	अपमान के आरोप	प्रत्येक चेक/भुगतान उपकरण/ईसीएस अनादर के लिए **रु. 5,000/- (केवल पाँच हजार रुपये)।**
3.	अनुबंधों में देरी/अनुपालन न होना	कुल बकाया राशि पर 5.00% प्रति वर्ष तक, जिसके लिए सुरक्षा पूर्ण नहीं की गई है
4.	अनुबंधों में देरी/अनुपालन न होना	**5% प्रति वर्ष तक** , इसके अलावा आईएफएसपीएल सुविधाओं को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5.	निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में देरी	निम्नलिखित के लिए वास्तविक दिनों की संख्या के लिए बकाया ऋण सुविधाओं पर **3.00% प्रति वर्ष तक शुल्क लिया जाएगा:**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>प्रकार</th><th>अंतिम तारीख</th></tr>
<tr><td>लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट</td><td>वित्तीय वर्ष समाप्ति से 9 महीने</td></tr>
<tr><td>वार्षिक अनंतिम वित्तीय-अलेखापरीक्षित</td><td>वित्तीय वर्ष समाप्ति से 3 महीने</td></tr>
<tr><td>अतिदेय शुल्क/ डिफ़ॉल्ट/ दंड दर</td><td>नियत तिथि पर सभी राशि का भुगतान न किया जाना</td></tr>
<tr><td>तिमाही परिणाम</td><td>तिमाही परिणाम: तिमाही समाप्ति से 45 दिन</td></tr>
<tr><td>स्टॉक और बुक ऋण विवरण</td><td>पिछले महीने के अंत से 20 दिनों के भीतर</td></tr>
<tr><td>मंजूरी की शर्तों का कोई अन्य उल्लंघन/ गैर-अनुपालन/ अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत न करना</td><td>जब भी आवश्यकता हो</td></tr>
</table>
उपरोक्त सूची सांकेतिक है तथा इसमें कोई भी संशोधन/विचलन मामले दर मामले के आधार पर लेनदेन संरचना के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पूर्व भुगतान जुर्माना</td><td>वास्तविक अव्यवहित अवधि के लिए पूर्व भुगतान हेतु प्रस्तावित सुविधा की बकाया राशि पर 5.00% तक का कर लागू है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आईएफएसपीएल व्यक्तिगत उधारकर्ताओं या एमएसएमई संस्थाओं को व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किसी भी फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर फौजदारी शुल्क / पूर्व भुगतान दंड / शुल्क नहीं लेगा, चाहे वह सह-दायित्वकर्ता के साथ हो या उसके बिना।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>प्रतिबद्धता शुल्क</td><td>औसतन न्यूनतम 90% स्वीकृत सीमा का उपयोग किया जाना है।

स्वीकृत सीमा के 90% तक उपयोग न किए जाने की स्थिति में प्रतिबद्धता शुल्क देय होगा, अप्रयुक्त सीमा के 4% की दर से प्रतिबद्धता शुल्क लगाया जाएगा (90% सीमा तक पहुंचने के लिए अप्रयुक्त)।</td></tr>
</table>

<u>टिप्पणी:</u>

- दंडात्मक शुल्क मासिक आधार पर लगाया जाएगा तथा गैर-अनुपालन की वास्तविक अवधि के लिए गणना की जाएगी।
- सभी शुल्कों पर जीएसटी, अन्य सरकारी कर और शुल्क देय होंगे।
- किसी भी समय, गैर-अनुपालन की संख्या पर ध्यान दिए बिना, समग्र दंडात्मक प्रभार 10% प्रति वर्ष (करों को छोड़कर) से अधिक नहीं होगा।

ऊपर उल्लिखित को छोड़कर किसी भी गैर-अनुपालन शुल्क प्रत्येक गैर-अनुपालन के लिए 3% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. अन्य शुल्क:

क्र. सं.	विवरण	प्रभार
1	प्रक्रमण फीस	स्वीकृत ऋण सुविधा का 5.00% तक
2	वार्षिक/समीक्षा शुल्क	कुल ऋण सुविधा पर 2.00% तक

ऐसे शुल्कों/दण्डात्मक ब्याज/अतिरिक्त ब्याज की वापसी या छूट के किसी भी दावे पर कंपनी द्वारा सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुरोधों, यदि कोई हो, से निपटना कंपनी के पूर्ण विवेक पर निर्भर है।

दंडात्मक/डिफॉल्ट प्रभार या किसी अन्य प्रकार के प्रभार लगाने में किसी भी छूट या माफी को सीईओ या किसी एक निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, छूट/माफी पर व्यवसाय की प्रकृति, प्रतिस्पर्धी उधारदाताओं के मूल्य निर्धारण, बैंकिंग व्यवस्था, भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं आदि के आधार पर विचार किया जा सकता है।

अध्याय IV - समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

i. EMI आधारित फ्लोटिंग रेट लोन की मंजूरी के समय, कंपनी उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अवधि बढ़ाने और/या EMI में वृद्धि के लिए पर्याप्त हेडरूम/मार्जिन उपलब्ध हो। ऋण की अवधि के दौरान और ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के समय बाहरी बेंचमार्क दर में किसी भी संभावित वृद्धि के मामले में, कंपनी उधारकर्ताओं को एक निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान करेगी और उन्हें एक वर्ष में केवल दो बार स्विच करने की अनुमति होगी। उधारकर्ताओं को (ए) EMI में वृद्धि या अवधि बढ़ाने या दोनों विकल्पों के संयोजन का विकल्प चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा; और, (बी) आंशिक रूप से पूर्व भुगतान करने का विकल्प भी दिया जाएगा। ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय पूर्ण या पूर्ण रूप से ऋण चुकाया जा सकता है। फौजदारी शुल्क/पूर्व भुगतान जुर्माना लगाना मौजूदा निर्देशों के अधीन होगा।

ii. स्वीकृति के समय, उधारकर्ताओं को ऋण पर बेंचमार्क ब्याज दर में परिवर्तन के संभावित प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा, जिससे ईएमआई और/या अवधि या दोनों में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद, उपरोक्त के कारण ईएमआई/अवधि या दोनों में किसी भी वृद्धि के बारे में उधारकर्ता को पूर्व निर्धारित चैनलों के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाएगा।

iii. ऋणों को फ्लोटिंग से फिक्स्ड दर पर स्विच करने के लिए सभी लागू शुल्क और उपरोक्त विकल्पों के प्रयोग से संबंधित किसी भी अन्य सेवा शुल्क/प्रशासनिक लागत को मंजूरी पत्र में पारदर्शी रूप से प्रकट किया जाएगा और कंपनी द्वारा समय-समय पर ऐसे शुल्कों/लागतों में संशोधन के समय भी इसका खुलासा किया जाएगा।

iv. कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि फ्लोटिंग रेट ऋण के मामले में अवधि के विस्तार के परिणामस्वरूप ऋणात्मक परिशोधन न हो।

v. कंपनी उचित माध्यम से उधारकर्ताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में एक विवरण उपलब्ध कराएगी, जिसमें कम से कम आज तक वसूले गए मूलधन और ब्याज, ईएमआई राशि, शेष ईएमआई की संख्या और ऋण की पूरी अवधि के लिए वार्षिक ब्याज दर/वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) के साथ-साथ उनके लिए उपलब्ध विकल्पों का विवरण होगा।

अध्याय IV - ऑन डिमांड/कॉल ऋण के लिए नीति

कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को मांग/कॉल ऋण केवल मांग/कॉल ऋण के विस्तार के लिए निम्नलिखित नीति के अनुसार ही प्रदान किया जा सकता है:

i. वह कट-ऑफ तिथि जिसके भीतर मांग या कॉल ऋण की चुकौती की मांग की जाएगी या कॉल अप किया जाएगा, मांग की तिथि या संवितरण की तिथि से 1 वर्ष तक जो भी पहले हो, होगी, साथ ही कंपनी द्वारा लागत, शुल्क, प्रभार, लेवी, व्यय, दावे और बकाया राशि उस पर ब्याज के साथ होगी।

ii. ऐसे ऋण को मंजूरी देने वाली ऋण समिति, मांग या कॉल ऋण को मंजूरी देते समय लिखित रूप में विशिष्ट कारणों को दर्ज करेगी, यदि ऐसे ऋण की मांग या कॉल करने की कट-ऑफ तारीख मंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि से आगे निर्धारित की गई है।

iii. ऐसे ऋणों पर देय ब्याज दर 10% से 30% प्रति वर्ष होगी

iv. ऐसे ऋणों पर ब्याज, जैसा कि निर्धारित किया गया है, मासिक या त्रैमासिक आधार पर देय होगा, ब्याज भुगतान आवृत्ति का निर्णय ऋण समिति द्वारा किया जाएगा;

v. ऐसे ऋणों को मंजूरी देने वाली ऋण समिति, मांग या कॉल ऋण को मंजूरी देते समय लिखित रूप में विशिष्ट कारण दर्ज करेगी, यदि कोई ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है या किसी भी अवधि के लिए स्थगन दिया गया है।

vi. ऋण के निष्पादन की समीक्षा के लिए कट-ऑफ तिथि अर्धवार्षिक होगी तथा कट-ऑफ तिथि की गणना स्वीकृति की तिथि से की जाएगी; तथा

vii. किसी भी मांग या कॉल ऋण का नवीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवधिक समीक्षा से मंजूरी की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं दर्शाया जाता।

अध्याय V - कंपनी वेबसाइट

ब्याज दर और जोखिम के वर्गीकरण के दृष्टिकोण सहित यह ब्याज दर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, या वैकल्पिक रूप से, संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित या अन्यथा प्रकाशित ऐसी जानकारी को प्रत्येक ऋण उत्पाद के लिए ब्याज दरों में परिवर्तन होने पर अपडेट किया जाएगा।

अध्याय VI - विचलन

समय की बचत तथा तीव्र गति से निर्णय लेने के लिए, इस नीति की किसी भी शर्त में परिवर्तन सीईओ द्वारा किसी एक निदेशक के साथ मिलकर किया जा सकता है, बशर्ते कि आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए तथा आगामी बोर्ड बैठक में इस पर ध्यान दिया जाए।

अध्याय VII - बेजोड़ता

इस नीति या कंपनी की किसी अन्य नीति के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अंतिम बार अनुमोदित नीति ही मान्य होगी और कंपनी की किसी नीति और आरबीआई विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के बीच किसी भी असंगति या संघर्ष की स्थिति में, आरबीआई विनियम/परिपत्र/दिशानिर्देश/अधिसूचनाएं ऐसी असंगति की सीमा तक मान्य होंगी जब तक कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अद्यतन नीति को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

अध्याय आठ -- नीति की समीक्षा

यह नीति करेगा होना की समीक्षा द्वारा तख़्ता का निदेशक वार्षिक आधार पर आधार. आगे, यह नीति करेगा होना अनुमत/ संशोधन

द्वारा तख़्ता का निदेशक, आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, निर्देशों और अनुदेशों सहित लागू कानूनों के अधीन होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, और नीति के पहले के संस्करण का स्थान लेंगे।

समिति नीति में परिवर्तन या संशोधन का सुझाव भी दे सकती है तथा उसे अनुमोदन एवं अपनाने के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

अध्याय IX – प्रभावी तिथि

यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगी तथा नीति के अनुमोदन के बाद या उसके बाद होने वाली सभी प्रासंगिक गतिविधियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।